न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी मुकुट सिंह आर0ए0एस

मुकदमा नं0 03/2023

1. शंकरलाल पुत्र स्व0नोरतमल जाति कुमावत निवासी मारवालो की ढाणी ढाणीनागान तह0 जोबनेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. बीलादेवी पुत्री गोमा पत्नि नन्दाराम जाति कुमावत निवासी हिंगोनिया तह0 जोबनेर
2. मुन्नी देवी पत्नि स्व0गोमा (फौत)

2/1– नोरतमल पुत्र स्व0गोमा

2/1/1– रमेश उर्फ अभिषेक पुत्र स्व0 नोरतमल

2/2– भीवाराम पुत्र स्व0 गोमा

2/2/1– कमलादेवी पत्नि भीवाराम

2/2/2– राधादेवी पुत्री भीवाराम

2/2/3– पांचीदेवी पुत्री भीवाराम

2/2/4– तीजादेवी पुत्री भीवाराम

2/2/5– लालुराम पुत्र भीवाराम

2/2/6– नेमीचन्द पुत्र भीवाराम

2/3– रामूराम पुत्र स्व0 गोमा

2/4– मालीराम पुत्र स्व0 गोमा(फौत)

2/4/1– तारादेवी पत्नि मालीराम

2/4/2– गीतादेवी पत्नि मालीराम

2/4/3– मदन पुत्र मालीराम

2/4/4– मोहरा उर्फ विधा देवी पुत्री मालीराम

2/4/5– भरत पुत्र मालीराम

2/5– छोटूराम पुत्र स्व0गोमा

2/5/1– तीजादेवी पत्नि स्व0 छोटूराम

2/5/2– सुनीता उर्फ सुन्या देवी पुत्री स्व0छोटूराम

2/5/3– अनिता देवी पुत्री स्व0छोटूराम

2/5/4– फूलचन्द पुत्र स्व0 छोटूराम

समस्त जाति कुमावत निवासी मारवालो की ढाणी ढाणीनागान तह0 जोबनेर

3. तहसीलदार, जोबनेर।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित :– 1. श्री गोपी चन्द कुमावत वकील वादी

2. श्री सुरेश कुमार शर्मा वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 29/01/2025

वादी द्वारा वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खाता सं0 202 के ख0न0 1790 रकबा 8.0169 है0 वाकै ग्राम डेहरा, तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे प्रतिवादी सं01 का 3/560 हिस्सा व प्रतिवादी सं02 का 3/560 हिस्सा जमाबंदी राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज है। तथा इसी प्रकार आराजी खाता सं0–71 के ख0न0 619 रकबा 3.2624 है0 वाकै ढाणी नागान तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमे प्रतिवादी सं01 के 1/280 हिस्सा व प्रतिवादी सं02 का 1/280 हिस्सा जमाबंदी राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज है।

यह कि स्व0गोमा वादी का दादा लगता था तथा गोमा के जीवन काल मे वादी के पिता नोरतमल का स्वर्गवास हो गया था तथा गोमा की मृत्यु होने पर वादग्रस्त आराजीयात का नामांतकरण उसके कानूनी वारिसान के नाम से खातेदारी हिस्से अनुसार दर्ज कर दी गई। गोमा की विरासत की आराजीयात प्रतिवादी सं01 व 2 को मिली है जिसमे प्रतिवादी सं01 बीलादेवी ने भीवाराम, रामूराम तथा मालीराम की पत्नि तारादेवी तथा छोटेलाल की पत्नि तीजा देवी के पक्ष मे अपने हिस्से मे से इन चारो के पक्ष मे चार हिस्से जरिये रजि0 हक त्याग के दर्ज करवा दी। इसी प्रकार प्रतिवादी सं02 मन्नीदेवी जिसका स्वर्गवास हो गया है उसने अपने जीवनकाल मे अपने हिस्से की आराजीयात भीवाराम, रामूराम तथा मालीराम की पत्नि तारादेवी तथा छोटेलाल की पत्नि तीजा देवी के पक्ष मे अपने हिस्से मे से इन चारो के पक्ष मे चार हिस्से जरिये रजि0 हक त्याग के दर्ज करवा दी।

प्रतिवादी सं01 ने अपने भाईयो व भाभीयो व प्रतिवादी सं02 ने अपने पुत्रो व पुत्रवधु के पक्ष मे हक त्याग करवाया उस समय वादी व प्रतिवादी सं02/1 नाबालिंग थे तथा वादी व प्रतिवादी सं02/1 के पिता नोरतमल का देहान्त हो चुका था तथा नोरतमल की पत्नि ग्यारसीदेवी अनपढ व ग्रामीण महिला होने से तथा बच्चे नाबालिंग होने से हक त्याग के समय हाजिर नही हुये थे। इसलिए नोरतमल के हिस्से की भूमि प्राप्त करने से वादी व प्रतिवादी सं02/1 वंचित रहे गये तथा प्रतिवादी सं01 व 2 ने वादी व प्रतिवादी सं02/1 की माता ग्यारसीदेवी को आश्वस्त किया था कि वादी व प्रतिवादी सं02/1 बालिंग होने पर उनके नाम भी हक त्याग करवा देगी तथा कहा कि कब्जा काश्त तो तुम्हारा हमारे हक व हिस्से की जमीन पर हिस्से अनुसार चला आ रहा है और समय आने पर खातेदारी नाम करवा देगे तथा वादी व प्रतिवादी सं02/1 के

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

हक त्याग करवायी जाने वाली हिस्से की भूमि ही वर्तमान मे प्रतिवादी सं01 व प्रतिवादी सं02 की खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है। जो वाद पत्र के मद नं02 मे वर्णित है।

वर्तमान मे प्रतिवादी सं02 मन्नीदेवी का स्वर्गवास हो गया है । लेकिन प्रतिवादी सं02 के स्वर्गवास हो जाने से व प्रतिवादी सं01 को प्रतिवादी सं02/2 लगायत 2/3 व प्रतिवादी सं0 2/4/1 लगायत 2/4/6 तथा प्रतिवादी सं0 2/6/1 लगायत 2/5/4 ने अपने प्रभाव ले रखा है और वादग्रस्त भूमि से यह सभी वादी व प्रतिवादी सं02/1 को बेदखल करना चाहते है जब वादी ने उपरोक्त प्रतिवादीगण को प्रतिवादी सं01 व 2 की उपरोक्त हिस्से की आराजीयात को वादी व प्रतिवादी सं02/1 की खातेदारी मे दर्ज करवाने के लिए दिनांक 13/12/2022 को कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये और प्रतिवादी सं01 की खातेदारी की भूमि अकेले जरिये हक त्याग करवाने एवं प्रतिवादी सं02 के नाम दर्ज हिस्से की भूमि का फौती का नामांतकरण अकेलो के नाम खुलवाने की धमकी। इसलिए वादी को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह वाद वावत घोषणा खातेदारी विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी का वाद वावत घोषणा खातेदारी इस अमर की डिक्री फरमाया जावे खाता सं0 202 के ख0न0 1790 रकवा 8.0169 है0 वाकै ग्राम डेहरा, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर मे प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हिस्सा 3/560 हिस्सा व प्रतिवादी सं02 का 3/560 हिस्सा दर्ज है उसके वादी व प्रतिवादी सं02/1 खातेदार काश्तकार है तथा इसी प्रकार इसी प्रकार आराजी खाता सं0–71 के ख0न0 619 रकवा 3.2624 है0 वाकै ग्राम ढाणी नागान तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे प्रतिवादी सं01 के 1/280 हिस्सा व प्रतिवादी सं02 का 1/280 हिस्सा के वादी व प्रतिवादी सं02/1 खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी सं01 व 2 का वादग्रस्त आराजीयात से नाम हजफ फरमाया जाकर वादी व प्रतिवादी सं02/1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करवाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित आए। दिनांक 29.01.2025 को वादी एवं प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए। प्रवितादीगण द्वारा दिनांक 29.01.2025 को राजीनामा इस आशय पेश किया गया है कि खाता संख्या 202 के खसरा नंबर 1790 रकवा 8.0169 है0 वाकै ग्राम डेहरा तहसील जोबनेर तथा आराजी खाता संख्या 71 के खसरा नंबर 619 रकवा 3.2624 है0 वाकै ग्राम ढाणी नागान तह0 जोबनेर में स्थित है। उक्त आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी है। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया है यदि मुताबिक वाद के अनुतोष के वादी का वाद डिक्री किया जाता है तो प्रवितादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने दावे में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया है। तथा वादी का वाद मुताबिक वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा वादी का वाद मुताबिक वाद पत्र डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

हमने बहस वकील वादी पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड नकल जमावन्दी सम्वत 2073 से 2076 का अवलोकन किया। विवादित ख0न0 619 रकबा 3.2624 है0 वाकै ग्राम ढाणी नागान एवं ख0न0 1790 रकबा 8.0169 है0 वाकै ग्राम डेहरा तहसील जोबनेर में स्थित है। उक्त विवादित भूमि के संबंध में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है। तथा प्रतिवादीगण को वादी का वाद मुताबिक वाद पत्र डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः वादी का वाद बाबत घोषणा खातेदार एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 29.01.2024 को प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि खाता सं0 202 के ख0न0 1790 रकबा 8.0169 है0 वाकै ग्राम डेहरा, तहसील जोबनेर जिला जयपुर जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 का 3/560 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2/1 का 3/560 हिस्स दर्ज है तथा खाता सं0–71 के ख0न0 619 रकबा 3.2624 है0 वाकै ग्राम ढाणी नागान तहसील जोबनेर जिला जयपुर, जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 का 1/280 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2/1 का 1/280 हिस्स दर्ज है। उक्त आराजीयात मे से प्रतिवादी सं0 1 व 2 का का नाम हजफ फरमाया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2/1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 29.01.2024 को प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार जोबनेर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे। तदानुसार डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29/01/2025 को टंकित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/01/2025

मुकुट सिंह (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर,** जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी मुकुट **सिंह आर0ए0एस0,**

वाद संख्या– 03/2023

1. शंकरलाल पुत्र स्व0नोरतमल जाति कुमावत निवासी मारवालो की ढाणी ढाणीनागान तह0 जोबनेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. बीलादेवी पुत्री गोमा पत्नि नन्दाराम जाति कुमावत निवासी हिंगोनिया तह0 जोबनेर
2. मुन्नी देवी पत्नि स्व0गोमा (फौत)

2/1– नोरतमल पुत्र स्व0गोमा

2/1/1– रमेश उर्फ अभिषेक पुत्र स्व0 नोरतमल

2/2– भीवाराम पुत्र स्व0 गोमा

2/2/1– कमलादेवी पत्नि भीवाराम

2/2/2– राधादेवी पुत्री भीवाराम

2/2/3– पांचीदेवी पुत्री भीवाराम

2/2/4– तीजादेवी पुत्री भीवाराम

2/2/5– लालुराम पुत्र भीवाराम

2/2/6– नेमीचन्द पुत्र भीवाराम

2/3– रामूराम पुत्र स्व0 गोमा

2/4– मालीराम पुत्र स्व0 गोमा(फौत)

2/4/1– तारादेवी पत्नि मालीराम

2/4/2– गीतादेवी पत्नि मालीराम

2/4/3– मदन पुत्र मालीराम

2/4/4– मोहरा उर्फ विधा देवी पुत्री मालीराम

2/4/5– भरत पुत्र मालीराम

2/5– छोटूराम पुत्र स्व0गोमा

2/5/1– तीजादेवी पत्नि स्व0 छोटूराम

2/5/2– सुनीता उर्फ सुन्या देवी पुत्री स्व0छोटूराम

2/5/3– अनिता देवी पुत्री स्व0छोटूराम

2/5/4– फूलचन्द पुत्र स्व0 छोटूराम

समस्त जाति कुमावत निवासी मारवालो की ढाणी ढाणीनागान तह0 जोबनेर

3. तहसीलदार, जोबनेर।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषण, खातेदार एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रूबरू **मुकुट सिंह आर0ए0एस0 व हाजरी** श्री गोपीराम कुमावत विद्वान अधिवक्ता मिनजानिब मुदई, श्री सुरेश कुमार शर्मा विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण एवं सरकार पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वादी शंकरलाल द्वारा प्रस्तुत वाद वाद बाबत् घोषण खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा रा0टी0ऐ0 निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि खाता सं0 202 के ख0न0 1790 रकबा 8.0169 है0 वाकै ग्राम डेहरा, तहसील जोबनेर जिला जयपुर जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 का 3/560 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2/1 का 3/560 हिस्स दर्ज है तथा खाता सं0–71 के ख0न0 619 रकबा 3.2624 है0 वाकै ग्राम ढाणी नागान तहसील जोबनेर जिला जयपुर, जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 का 1/280 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2/1 का 1/280 हिस्स दर्ज है। उक्त आराजीयात मे से प्रतिवादी सं0 1 व 2 का का नाम हजफ फरमाया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2/1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 29.01.2024 को प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार जोबनेर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे। तदानुसार डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली की जावें। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख 29 माह 01 सन् 2025 को जारी किया गया।

वाद के खर्चे

मुददई	रूपया		पैसा	मुददायलाह	रूपया	पैसा
अर्जी दावा.....	06			अर्जी दावा.....		
स्टाम्प वकालतनामा....	10			स्टाम्प वकालतनामा....	12	
स्टाम्प वजह सबूत.....				स्टाम्प वजह सबूत.....		
महनताना वकील.....				महनताना वकील.....		
खर्चा गवाहान.....				खर्चा गवाहान.....		
फीस कमिश्नर.....				फीस कमिश्नर.....		
बाबत् इजराय				बाबत् इजराय		
हुक्मनामा.....				हुक्मनामा.....		
मुतफर्रिक.....	02			मुतफर्रिक.....	02	
मीजान.....	04			मीजान.....		
कुल	22				14	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का, चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

29/01/2025
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर